भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3709

24.03.2025 को उत्तर के लिए

प्रोजेक्ट डॉल्फिन

3709. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत :
सुश्री सयानी घोष :
श्री बी. मणिक्कम टैगौर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डॉल्फिन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके आरंभ से लेकर अब तक वर्ष-वार कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ख) देश में नदी डॉल्फिनों की संख्या संबंधी प्रथम प्राक्कलन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और सरकार प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत भविष्य के संरक्षण प्रयासों के लिए इस डेटा का उपयोग किस प्रकार करने की योजना बना रही है;

(ग) सरकार द्वारा गंगा और सिंधु नदी में डॉल्फिनों के लिए खतरा संभावित स्थिति और इन प्रजातियों की धीमी वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जारी खतरों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) विशेष रूप से उनकी घटती संख्या को देखते हुए इस गंभीर संकटापन्न प्रजाति के संरक्षण के लिए किन-किन विशिष्ट संरक्षण उपायों की योजना बनाई गई है;

(ङ) नदी डॉल्फिनों के पर्यावासों में मानवीय गड़बड़ी से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और विशेष रूप से मछली पकड़ने, जल प्रदूषण और अवसंरचना विकास वाले क्षेत्रों में ऐसे खतरों को कम करने के लिए क्या विनियम अथवा नीतियां कार्यान्वित की गई हैं;

(च) क्या सरकार छोटी सहायक नदियों और कम ज्ञात डॉल्फिन पर्यावासों, जिन्हें वर्तमान सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है सहित और अधिक नदी प्रणालियों को शामिल करने के लिए डॉल्फिन परियोजना के भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार करने पर विचार कर रही है; और

(छ) प्रोजेक्ट डॉल्फिन ने डॉल्फिन के संरक्षण में किस प्रकार सहायता की है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) डॉल्फिन परियोजना के तहत उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :

i. एक व्यापक कार्य योजना (2022-2047) तैयार की गई है जिसके तहत नदी डॉल्फिन और जलीय पर्यावासों के संरक्षण हेतु विभिन्न हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों की भूमिका अभिज्ञात की गई है।

ii. देश में नदीय डॉल्फिन और संबंधित प्रजातियों की संख्या का सर्वप्रथम रेंज-व्यापी आकलन किया गया है।

iii. डॉल्फिन परियोजना के तहत, देश में गंगा नदी की डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका) की सर्वप्रथम उपग्रह-टैगिंग की गई है।

iv. इस मंत्रालय ने भारत में समुद्री कछुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना शुरू की है।

v. इस मंत्रालय ने समुद्री विशाल जीवों के तट पर फंसने और जाल में उलझने से बचाव के प्रबंधन हेतु वर्ष 2021 में 'मरीन मेगाफौना स्ट्रैंडिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स' जारी की है।

vi. डॉल्फिन तथा अन्य जलीय और समुद्री प्रजातियों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

vii. डॉल्फिन की निगरानी और इसके पर्यावासों के प्रबंधन हेतु वन कर्मचारियों के क्षमता निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया गया है।

viii. डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों सहित वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) आठ राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब में किए गए नदीय डॉल्फिन की संख्या के सर्वेक्षण के अनुसार गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी प्रणालियों में 6,327 नदीय डॉल्फ़िन होने का अनुमान है। इसमें गंगा नदी की 6,324 डॉल्फ़िन और सिंधु नदी की तीन डॉल्फ़िन शामिल हैं। इस अध्ययन से देश में नदीय डॉल्फिन की आबादी की आधारभूत संख्या निर्धारित हुई है।

इस अध्ययन में महत्वपूर्ण डाल्फिन हॉटस्पॉट, अन्य जलीय जीवों की स्थिति, खतरों और सामुदायिक सहभागिता की भूमिका, अनुसंधान और निगरानी को अभिज्ञात किया गया है जो देश में नदीय डॉल्फिन के दीर्घकालिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ग) से (ङ) डॉल्फिन और अन्य संबद्ध जलीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :

i. गंगा (प्लाटानिस्टा गैंगेटिका) और सिंधु नदी डॉल्फिन (प्लाटानिस्टा माइनर) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध करके शिकार के विरुद्ध उच्चतम दर्जे की सुरक्षा प्रदान की गई है।

ii. इस मंत्रालय ने उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामले में भारतीय तट रक्षकों को प्रवेश करने, तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए अधिकार संपन्न बनाने के लिए वर्ष 2022 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया है।

iii. 'केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों सहित वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iv. डॉल्फिन को 'केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - वन्यजीव पर्यावासों का विकास', जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, के प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत अभिज्ञात गंभीर रूप से संकटग्रस्त 22 प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है।

v. डॉल्फिन बहुल राज्यों के राज्य वन विभागों द्वारा पानी के भीतर मछली पकड़ने के परित्यक्त जालों को हटाने, तटरेखा की सफाई तथा डॉल्फिन स्ट्रैंडिंग के बारे में सूचना देने, मछली पकड़ने के लावारिस/परित्यक्त जालों को एकत्र करने और पर्यावास निगरानी हेतु नागरिकों को मुआवजा और पुरस्कार देने के लिए प्रयास किए गए हैं।

vi. डॉल्फिन के पर्यावासों के लिए हानिकारक कार्यकलापों पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक आजीविका के विकल्पों को बढ़ावा दिया जाता है।

vii. डॉल्फिन की पारिस्थितिकी और इसको होने वाले खतरों का अध्ययन करने के लिए अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी की जाती है।

(च) और (छ) डॉल्फिन परियोजना ने डॉल्फिन, संबद्ध प्रजातियों और जलीय पर्यावासों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा किए जा रहे सम्मिलित प्रयासों के लिए मंच और वैज्ञानिक प्रोत्साहन प्रदान किया है।

*****

संलग्नक-I

"प्रोजेक्ट डॉल्फिन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3709 **के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक**

गत चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(राशि लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि*	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि*	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि*	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि*
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.0	0.0	135.8	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0
असम	0.0	0.0	0.0	0.0	209.1	190.9	565.1	577.0
बिहार	205.2	138.3	410.9	0.0	0.0	0.0	336.4	325.6
गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.1	48.3
गुजरात	124.6	0.0	0.0	0.0	200.0	84.7	207.0	207.5
झारखंड	198.2	109.8	79.5	79.5	0.0	0.0	14.9	63.5
कर्नाटक	586.1	682.9	1256.6	1164.0	291.7	339.0	581.5	675.4
केरल	731.3	700.5	295.8	205.6	224.5	313.4	921.0	921.0
मध्य प्रदेश	801.6	783.1	389.3	511.4	265.6	307.2	471.8	487.5
ओडिशा	694.2	688.8	726.8	690.2	967.5	854.3	1005.1	1155.5
राजस्थान	309.1	549.8	1007.6	1046.3	86.8	0.0	0.0	0.0
तमिलनाडु	334.0	228.7	390.8	363.2	133.0	162.7	373.9	483.7
उत्तर प्रदेश	312.9	315.0	169.1	166.7	266.7	231.0	290.6	291.2
उत्तराखंड	441.6	499.1	226.3	214.4	213.0	227.2	498.5	395.6
पश्चिम बंगाल	710.6	835.4	757.3	580.1	201.3	224.2	385.3	400.0
लक्षद्वीप	462.9	462.9	462.1	214.4	269.9	198.3	124.7	124.7

* उपयोग की गई निधियों में गत वर्ष की अव्ययित शेष राशि शामिल है।